

उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19-सी, विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना / विज्ञप्ति

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), प्लाटून कमाण्डर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती-2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को मा0 उच्च न्यायालय, में योजित/विचाराधीन रिट याचिका के सन्दर्भ में बचाव हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निमित्त सूचित किये जाने के संबंध में।

संख्या: पीआरपीबी-अनु-दो-1(21)/2018,

दिनांक: मई 28, 2019

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), प्लाटून कमाण्डर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती-2016के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सूचना/विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-अनु-6-प-18/2016, दिनांक: 17-06-2016 बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुये उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के अन्तर्गत पुरुष के पद 2400 व महिला के 600 पद, प्लाटून कमाण्डर पीएसी के 210 एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 97 पदों पर सीधी भर्ती-2016के पदों पर भर्ती हेतु आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। इस चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑन-लाइन 6,30,926 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये। उक्त भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत 12 परिक्षेत्रों के 17 जनपदों में दिनांक: 12-12-2017 से 23-12-2017 तक ऑन लाइन लिखित परीक्षा आयोजित की गयी। ऑन लाइन लिखित परीक्षा में सफल/अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की थी, सम्पन्न करायी गयी थी।

2- उक्त ऑन-लाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों के ऑन-लाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंकों(Normalised marks) की श्रेष्ठताक्रम के आधार पर आरक्षण नीति के सुसंगत प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं अचयनित अभ्यर्थियों की सूची (पृथक से) बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक: 28-02-2019 को प्रदर्शित करते हुए अन्तिम चयन परिणाम घोषित किया गया था।

3- उपरोक्त चयन परिणाम के सम्बन्ध में विभिन्न रिट याचिकाएं मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गई हैं, मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या: 7458/2019 पुनीत कुमार यादव व 04 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक: 13-05-2019 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने आदेश में प्रश्नगत भर्ती- उपनिरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर पीएसी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2016 अन्तिम चयन परिणाम के प्रभावित पक्षों को मा0 न्यायालय के पारित आदेश के सन्दर्भ में सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके मुख्य कार्यात्मक अंश इस प्रकार है:-

Let the second respondent cause publication of notice about the hearing of this petition along with several other identical petitions asking Sub-Inspectors who

may have concern to defend themselves under Chapter XXIII Rule 5-A Rules of Court, 1952 through counsel before this Court on the date fixed. The second respondent has to ensure that the notice is published in the news dailies of the concerned district, both having wide circulation and local circulation within a period of two weeks from date and a circular to that effect should be duly notified on website of the Board.

अतः उपरोक्त के कम में प्रश्नगत भर्ती के प्रभावित पक्षों (चयनित अभ्यर्थियों) को सूचित किया जाता है कि वे कोर्ट के नियम, 1952 के अध्याय- XXIII के नियम-5-A के अर्न्तगत अपने अधिवक्ता के माध्यम से सम्बन्धित मा0 न्यायालय संख्या-02 के समक्ष बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, मा0 न्यायालय में सुनवाई की तिथि दिनांक: 26.09.2019 नियत है। प्रभावित पक्षों (चयनित अभ्यर्थियों) से सम्बन्धित सूची बोर्ड की वेबसाइट: [www.uppbpb.gov.in](http://www.uppbpb.gov.in) पर उपलब्ध है।

Jul 28/19

अपर सचिव, भर्ती,  
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ।